प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

7452-75

पत्रसंख्याःएस0पी0एम0यू0/एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 फॉलोअप फार्मेट्स/2016-17/51-जी/ दिनांकः 11.10.2018

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एम0सी0टी0एस0 फैसिलिटी बेस्ड कार्यक्रम हेतु एम0सी0टी0एस फॉलोअप फॉरमेट की प्रिटिगं हेतु दिशा-निर्देश (वित्तीय वर्ष 2018-19)।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 2018-19 (ROP F.No. 10(10)/2018-NHM-I Dated 13.07.2018) में प्राप्त स्वीकृति एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य कार्यकारी समिति की 103वीं बैठक दिनांक 21.08.2018 के एजेण्डा मद संख्या 103.84 में लिये गये निर्णय के क्रम में, मिशन फ्लैक्सीपूल में एच0एम0आई0एस0 एवं एम0सी0टी0एस0 के अर्न्तगत **न्यू एफ0एम0आर0 कोड संख्या 12.9.3 (पूर्व एफ0एम0आर0 कोड संख्या- B.15.3.2.1) "प्रिन्टिग ऑफ एम0सी0टी0एस0 फॉलोअप फार्मेट/सर्विस ड्यू लिस्ट/वर्क प्लान"** हेतु निम्नवत् बजट स्वीकृत किया गया हैः-

"Approved Rs. 57.66 Lakh for printing of follow-up formats /service due list/work plan. Ensure there should not be any duplicity in printing".

ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य इकाइयों में "प्रिन्टिग ऑफ एम0सी0टी0एस0 फालोअप फार्मेट/सर्विस ड्यू लिस्ट/ वर्क प्लान" हेतु भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद के समस्त ब्लॉक हेतु फॉलोअप फार्मेट हेतु रू0 3.00/- प्रति आशा प्रति माह के आधार पर स्वीकृत किया गया है, जिसे भारत सरकार के मानकानुसार जनपद/ब्लॉक स्तर पर व्यय किया जाएगा। उक्त प्रिन्टिंग हेतु जनपद में अधिकतम व्यय धनराशि रु0 3.00/-प्रति फार्मेट के अनुसार कोटेशन/टेन्डर आमन्त्रित कर छपवाये जाने हेतु बजट स्वीकृत किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

S.No.	Districts	No of ASHAs	Total amount approved @ Rs 3.00/ASHA/ month for printing of follow up formats	Fund allocated for 4 months DHAP of FY 2018-19	Balance fund to be allocated for 8 months DHAP of FY 2018-19
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4 =(Col. 3x Rs 36)	Col.5 =(Col. 3x 4)	Col.6 =(Col.4-Col.5)
1	Agra	2806	101016	33672	67344
2	Aligarh	2850	102600	34200	68400
3	Allahabad	4371	157356	52452	104904
4	Ambedkar Nagar	2372	85392	28464	56928
5	Amethi	2250	81000	27000	54000
6	Amroha (JP Nagar)	1419	51084	17028	34056
7	Auraiya	1266	45576	15192	30384
8	Azamgarh	4220	151920	50640	101280
9	Baghpat	1028	37008	12336	24672
10	Bahraich	3191	114876	38292	76584
11	Ballia	2919	105084	35028	70056
12	Balrampur	1979	71244	23748	47496
13	Banda	1523	54828	18276	36552
14	barabanki	3258	117288	39096	78192
15	Bareilly	2903	104508	34836	69672
16	Basti	2323	83628	27876	55752
17	Bijnor	3070	110520	36840	73680
18	Budaun	2563	92268	30756	61512
19	Bulandshahar	2291	82476	27492	54984
20	Chandauli	1953	70308	23436	46872
21	Chitrakoot	852	30672	10224	20448

Scanned by CamScanner

S.No.	Districts	No of ASHAs	Total amount approved @ Rs 3.00/ASHA/ month for printing of follow up formats	Fund allocated for 4 months DHAP of FY 2018-19	Balance fund to be allocated for 8 months DHAP of FY 2018-19
22	Deoria	2930	105480	35160	70320
23	Etah	1492	53712	17904	35808
24	Etawah	1372	49392	16464	32928
25	Faizabad	2556	92016	30672	61344
26	Farukkhabad	1497	53892	17964	35928
27	Fatehpur	2311	83196	27732	55464
28	Firozabad	1664	59904	19968	39936
29	Gautam Buddha Nagar	778	28008	9336	18672
30	Ghaziabad	688	24768	8256	16512
31	Ghazipur	3623	130428	43476	86952
32	Gonda	3186	114696	38232	76464
33	Gorakhpur	3603	129708	43236	86472
34	Hamirpur	1104	39744	13248	26496
35	Hapur	717	25812	8604	17208
36	Hardoi	3550	127800	42600	85200
37	Hathras	1232	44352	14784	29568
38	Jalaun	1381	49716	16572	33144
39	Jaunpur	4145	149220	49740	99480
40	Jhansi	1260	45360	15120	30240
41	Kannauj	1492	53712	17904	35808
42	Kanpur Dehat	1700	61200	20400	40800
43	Kanpur Nagar	1686	60696	20232	40464
44	Kasganj	1150	41400	13800	27600
45	Kaushambi	1660	59760	19920	39840
46	Kushi Nagar (Padrauna)	3392	122112	40704	81408
47	Lakhimpur Kheri	3552	127872	42624	85248
48	Lalitpur	982	35352	11784	23568
49	Lucknow* (+3)	1551	55836	18612	37224
50	Maharajganj	2666	95976	31992	63984
51	Mahoba	697	25092	8364	16728
52	Mainpuri	1562	56232	18744	37488
53	Mathura	1788	64368	21456	42912
54	MAU	1751	63036	21012	42024
55	Meerut	1688	60768	20256	40512
56	MIRZAPUR	2148	77328	25776	51552
57	Moradabad	2218	79848	26616	53232
58	Muzaffar Nagar	2267	81612	27204	54408
59	Pilibhit	1426	51336	17112	34224
60	Pratapgarh	3041	109476	36492	72984
61	Raebareli	2305	82980	27660	55320
62	Rampur	1705	61380	20460	40920
63	Saharanpur	2695	97020	32340	64680
64	Sambhal	1776	63936	21312	42624
65	Sant Kabir Nagar	1586	57096	19032	38064
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	1355	48780	16260	32520
67	Shahjahanpur	2597	93492	31164	62328
68	Shamali	982	35352	11784	23568
69	Shrawasti	1114	40104	13368	26736
70	Siddharth Nagar	2393	86148	28716	57432
71	Sitapur	3944	141984	47328	94656
72	Sonbhadra	1548	55728	18576	37152
73	Sultanpur	2556	92016	30672	61344
74	Unnao	2623	94428	31476	62952

Scanned by CamScanner

S.No.	Districts	No of ASHAs	Total amount approved @ Rs 3.00/ASHA/ month for printing of follow up formats	Fund allocated for 4 months DHAP of FY 2018-19	Balance fund to be allocated for 8 months DHAP of FY 2018-19
75	Varanasi	2083	74988	24996	49992
Total		160175	5766300	1922100	3844200

"प्रिन्टिग ऑफ एम0सी0टी0एस0 फॉलोअप फार्मेट/सर्विस ड्यू लिस्ट/वर्कप्लान" की प्रति www.upnrhm.gov.in के download सेक्शन में दिये गये लिंक **MCTS Followup Format (Beneficiary Card of Mother and Child) for ASHA** पर भी उपलब्ध हैं।

अतः उपरोक्तानुसार **"प्रिन्टिग ऑफ एम0सी0टी0एस0 फॉलोअप फार्मेट/सर्विस ड्यू लिस्ट/वर्क प्लान"** हेतु वित्त अनुभाग द्वारा जनपदों को डैप के माध्यम से धनराशि आंवटित की गयी है। कृपया उक्त मानकों के अनुसार एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय न्यू **एफ0एम0आर0 कोड संख्या 12.9.3** (पूर्व **एफ0एम0आर0 कोड संख्या– B.15.3.2.1**) से जनपद पर उपलब्ध धनराशि से किया जाए एवं डैप के सापेक्ष व्यय विवरण ससमय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

व्यय सम्बन्धी विस्तृत दिशा–निर्देशः

उक्त धनराशियों का व्यय "आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमो/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
2. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appopriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समित एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियॉ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU /NRHM/ACCOUNT/490–8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख–रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या

Scanned by CamScanner

अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्याःएस0पी0एम0यू/एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 फॉलोअप फार्मेट्स/2016-17/51-जी/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0-एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश एवं महाप्रबंन्धक एम0आई0आई0 को इस आशय से प्रेषित की दिशा-निर्देश की प्रति कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यकम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(बी0के0 जैन)
महाप्रबन्धक-एम0आई0एस0

Scanned by CamScanner